

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उ०प्र०, लखनऊ।  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्‌वितीय/अंतिम किरत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1634/76/एक/एवं/एमबीवीवार्ड/2013-14, दिनांक 22 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-रामपुर की न०प० केमरी व शहाबाद की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों हेतु कुल ०९ परियोजनाओं हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि से शासनादेश संख्या-1069/69-1-2013-24(बजट)/2013, दिनांक 30 जुलाई, 2013 द्वारा रु० 203.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात रु० 101.89 लाख की धनराशि प्रथम किरत के स्वयं में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि में से उक्त जनपद की ०५ परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ ६ में अंकित द्‌वितीय/अंतिम किरत की धनराशि रु० 63.25 लाख (लप्ये तिरसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका छण्ड-६ के अध्याय-12 के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तान्सार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ।

प्राप्ति/लिखा/अंतिम, -२०-

- मानक व सुगवत्ता अदि को सुनिश्चित करने हुए कार्य फैसले। इस प्रकार उपलब्ध कराये जायेंगे कि, ने उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सुनिश्चित स्थानीय निवासियों को भित्ति सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रशंसनीय परियोजना को जिला स्तरीय शास्त्रीय विकास रो अनुमोदित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार वा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। शासनीय/उपचारणीय का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
  6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंकडाक्षर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुरत आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
  7. उक्त प्रायोजना की भागीदारों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व वर्त्तयुक्त रासन्ना/सम्बन्धित दूड़ा का होगा।
  8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिता के सुसंगत प्राविधिकों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रशंसनीय परियोजनाओं के आवणन्नों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधिकों को कम करके लागत आकलित नहीं की गई है।
  10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित दूड़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनानुसार स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य घोट से धनराशि स्वीकृत छहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
  11. प्रशंसनीय परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडादूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लघुनड़ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्तानकरोपरान्त किया जायेगा।
  13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोणागार का नाम, बाउचर संघर्ष, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक तर्ज के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  14. इस धनराशि का उपयोग बालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुरत शासन को वापस करनी होगी।

15. इचोकत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तीर्णी धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक द्वय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04 गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोडइण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस 2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक: यथोक्ता।

*अवधीय,  
५३  
(एच०पी० सिंह)*  
विशेष सचिव।

*संख्या-702/१८६८/१०१६(१)/६९-१-२०१५, तितिनांक।*

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सारोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जबाहर अवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग 4, 30प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूड़ा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,  
*(एच०पी० सिंह)*  
विशेष सचिव।

राजसनादेश संख्या- 162/कृ.वि.वि.वि. 169-1-2015-24(बजट)/2013, दिनांक 28 जुलाई, 2015 का  
संलग्नक।

(प्रतिवर्षीय लाख ६० मि)

क्र०	उन्नपद का नाम	प्रिकार्य/ नगद चेतावन का नाम।	वर्तमान वर्ष जागरूकी का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	दिवितीय/अतिम कित्त के स्प में स्वीकृत शोध धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	रामपुर	न००५० केमरी	मो० चमराज वाई नं०-०१ में उद्योग के दृश्यवेत से भुगती लाल तथा रामपुरास के घर से शब्दर लोकी के घर तक इंटरलाइंग पेवर ब्लाक सड़क व नाली निर्माण कर्य।	21.53	10.765
2.	तटेव	तटेव	मो० सिंघडियान में किलन लाल के घर से (होनी चौराहा) से रामपुर रोड तक इंटरलाइंग पेवर ब्लाक सड़क व नाली निर्माण कर्य।	33.79	16.895
3.	तटेव	न००५० शाहाबाद	मो० फर्रशाज वाई नं०-१३ में रिकार्ड भाई के कोल्हू के आस-पास लिभिन्ज गविर्यी में इंटरलाइंग पेवर ब्लाक सड़क व नाली निर्माण।	37.31	18.655
4.	तटेव	तटेव	मो० कानूनगयान में विजाल मरिजद से ललन्द आठो सेवर (पानी की टंकी) तक इंटरलाइंग पेवर ब्लाक सड़क व नाली निर्माण।	29.02	14.51
5.	तटेव	तटेव	मो० कल्पनगयान में हजार के घर से सलीम, इतीश के घर तक इंटरलाइंग पेवर ब्लाक सड़क व नाली निर्माण।	4.85	2.425
	योग			126.50	63.25

(रूपये तिरसठ लाख पचास हजार मात्र)।

*hpsb*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।